33

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर संभाग रीवा

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/0740

रामचरण शुक्ला तनय स्व0शिवप्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम बाल्हा तह0 बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0---**निगराकार/अना0क्र0--01**

बनाम

1-- आम जनता बाल्हा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 द्वारा--चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला तनय देवकी नंदन शुक्ला निवासी ग्राम बाल्हा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

2-- सत्यनारायण शुक्ला तनय कामता प्रसाद शुक्ला,

3-- संतोष कुमार पाण्डेय तनय रामनरेश पाण्डेय,

4-- राजनारायण शुक्ला तनय बाबूलाल शुक्ला,

5-- अनन्दी प्रसाद तिवारी तनय त्रिवेणी प्रसाद तिवारी,

6-- लल्लू प्रसाद तिवारी तनय सुन्दर तिवारी,

7-- अरविन्द कुमार पयासी तनय जागेश्वर प्रसाद पयासी

8-- रामनरेश पाण्डेय तनय अच्छेलाल पाण्डेय,

9-- जमुना प्रसाद शुक्ला तनय रामहृदय शुक्ला,

10-- लालजी शुक्ला तनय रामलखन शुक्ला,

11-- जयनारायण मिश्रा तनय रामफल मिश्रा,

12-- सुशील तिवारी तनय राजबहादुर तिवारी

13-- राजेश शुक्ला तनय हीरामन शुक्ला

सभी निवासी ग्राम बाल्हा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0------------------**गैर निगरकार/आवेदकगण**

14-- शासन म0प्र0 द्वारा हल्का पटवारी नयागांव जिला सतना म0प्र0--------------------**गैर निगराकार/अना0क्र0--02**

-2-

निगरानी विरूद्ध आदेश दि0 19.01.18 न्यायालय
तहसीलदार तहसील मझगवां जिला सतना
रा0प्र0क्र0–47 ए 74 / 17–18

धारा– 50 कानूनमाल

मान्यवर,

निगराकार / अना0क्र0–01निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

यह कि निगराकार / अना0क्र0–01 अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक–19.01.18 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगराकार क्र0– 1 ता 13 द्वारा धारा 131, 132 का0मा0 के अन्तर्गत निगराकार के विरूद्ध आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि आ0नं0–1089 रकवा 0.17 एकड़ मौजा नयागॉव (वाल्हा) तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना के पूरे रकवा में रास्ता दर्ज कर दिया जावे, आ0नं0–1089 रकवा 0.17 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखो में निगराकार के भू–स्वामी खाते में वर्ष 1997 से दर्ज अभिलेख है । उक्त भूमि निगराकार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.97 पूर्व भू–स्वामीक रामकली वगैरह से क्रय कर मौके से काबिज दाखिल हुआ है । तब से अनवरत् आज तक उक्त भूमि में निगराकार बतौर भू–स्वामी भी काबिज–दाखिल है ।

यह कि आ0नं0–1089 रकवा 0.17 एकड़ मौजा नयागॉव (वाल्हा) के सम्बन्ध में समान्तर एक दीवानी दावा श्रीमान् द्वितीय

-3-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सतना / भू.रा / 2018 / 0740

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
7–3–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मझगंवा ज़िला सतना के प्रकरण कमांक 47 / अ–74 / 2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 19.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.1.18 को आपत्ति निरस्त की गई है। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह था कि आपत्ति निरस्त क्यों की गई है अर्थात बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है। 3–प्रकरण में संलगन दिनांक 19.1.18 की आपत्ति निरस्त की गई है लेकिन क्यों निरस्त की गई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि 19.1.18 का आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः तहसीलदार तहसील मझगंवा जिला सतना के प्रकरण कमांक 47 / अ–74 / 2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 19.01.18 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आपत्ति का निराकरण बोलते हुये आदेश (speekingn order)में पारित करें। सदस्य	